प्राक्कथन

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम की स्थापना प्रभावी मूल्य समर्थन प्रचालन, पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यानों का प्रचालन/बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए की गई थी।

इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा में शामिल तीन क्षेत्र जैसे ऋण प्रबंधन, श्रमिक प्रबंधन एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान तथा पंजाब में निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) के कार्यान्वयन के परिणाम शामिल हैं। एफसीआई में इन क्षेत्रों का चयन क्रमश: उच्च लागत कार्यरत पूंजी; विभागीय श्रमिक की उच्च हैंडलिंग लागत तथा निजी भागीदारी के माध्यम से भंडारण क्षमता का वृद्धि में विलंब की वजह से किया गया था।

ऋण प्रबंधन की लेखापरीक्षा से पता चला कि बाह्य श्रोतों से प्राप्त निधियों पर ब्याज की बड़ी राशि का भुगतान एफसीआई को करना पड़ता था क्योंकि इसे भारत सरकार (जीओआई) से समय पर खाद्य अनुदान की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। एफसीआई भी विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों से लंबे समयावधि से बकाया बड़ी प्राप्तियों की वसूली नहीं कर सका। एफसीआई में श्रम प्रबंधन विभागीय श्रमिक की गैर-युक्तिकरण तथा परोक्षी श्रमिक के गैर-उन्मूलन जैसी कमियों से बुरी तरह प्रभावित हुआ। एफसीआई ने लागू नियमों तथा न्यायिक फैसलों/निर्देशों का उल्लंघन कर अपने श्रमिको को बहुत अधिक अस्वीकार्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया। पीईजी योजना बुरी तरह से विलंबित पायी गयी और उसे कार्यान्वयन में कमियों का सामना करना पड़ा जिसका परिणाम अत्यधिक व्यय के रूप में हुआ।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले पाँच पृथक पैराग्राफ (जिसमें से दो फर्जी भुगतान से संबंधित हैं) भी शामिल है।

मार्च 2016 के समाप्ति वर्ष पर एफसीआई के लेखा पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 यथा संशोधित 1984 की धारा 19-ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।